संख्या-03/2025/62/43-1-2025

प्रेषक,

डा० शील अस्थाना,
संयुक्त निदेशक कम-उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासनिक सुधार निदेशालय,
उ०प्र०, सचिवालय।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 27 फरवरी, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ०प्र० सचिवालय हेतु नये वाहन (Model Honda City 1.5 V MT) क्रय किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ०प्र० सचिवालय के पुराने वाहन संख्या-यू०पी०-32-बी०जी०-3462 (अम्बेसडर कार) को वर्ष 2019 में निष्प्रयोज्य घोषित करते हुए प्रतिस्थापन के आधार पर नये वाहन (Model Honda City 1.5 V MT) क्रय किए जाने हेतु धनराशि रु० 11,55,440/- (रूपये ग्यारह लाख पचपन हजार चार सौ चालीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्रशासनिक सुधार निदेशालय के नये वाहन (Model Honda City 1.5 V MT) क्रय किए जाने हेतु धनराशि रु० 11,55,440/- (रूपये ग्यारह लाख पचपन हजार चार सौ चालीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रश्नगत धनराशि व्यय किए जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय समय पर-शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(3) वाहन का क्रय डी०जी०एस० एण्ड डी० रेट कान्ट्रैक्ट की दर के अनुसार किया जाएगा तथा क्रय किये जाने वाले वाहन की गुणवत्ता तथा डी०जी०एस० एण्ड डी० की दरों की वैधता सुनिश्चित कर दी जायेगी।

(4) प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ०प्र० सचिवालय द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्दम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 एवं समय-समय पर राज्य कर द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रु० 11,55,440/- (रूपये ग्यारह लाख पचपन हजार चार सौ चालीस मात्र) वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-091-संलग्न कार्यालय-04-प्रशासनिक सुधार निदेशालय के अन्तर्गत मानक मद संख्या 14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामें डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू०ओ०-ई-9-524-दस-2024-25, दिनांक 25 फरवरी, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० शील अस्थाना)
संयुक्त निदेशक कम-उप सचिव।

संख्या- 03/2025/62(1)/43-1-2025, दिनांक 27 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार लेखा परीक्षा, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा० शील अस्थाना)
संयुक्त निदेशक कम-उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।